

भारत सरकार
Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग
Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय

Directorate of Construction, Services & Estate Management

प्रवर्तन अनुभाग Enforcement Section

वि.सा.भवन V.S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर Anushakti Nagar,
मुंबई Mumbai 400 094.
Telephone: 25487217/2548727

Ref: DCSEM/Enft/2020/24

January 15, 2021

परिपत्र CIRCULAR

विषय: बर्ड फ्लू के प्रसार के कारण वर्तमान परिस्थितियों में सुरक्षात्मक उपाय /दिशा-निर्देश
Sub: Preventive measures/guidelines on account of prevailing situation of outbreak of bird flu- reg.

वर्तमान परिस्थितियों में महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू के प्रादुर्भाव एवं अणुशक्तिनगर के कुछ जगहों पर मरे हुए कौवों के पाए जाने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी निवासियों/दुकानदारों से अनुरोध है कि नीचे दिए गए सुरक्षात्मक उपायों /दिशा-निर्देशों का पालन करें : In view of the prevailing situation of outbreak of bird flu in Maharashtra and some incidences of dead crows being found in some places in Anushaktinagar, all the residents/shop allottees are requested to follow the guidelines/preventive measures as mentioned below:

1. जहां तक संभव हो, निवासी पक्षियों के संपर्क से बचे Residents should avoid contact with birds to the extent possible.
2. मरे हुए पक्षियों को खाली हाथों से न छुएं एवं इस तरह के मामलों को कास्मेटिक अनुरक्षण अनुभाग , निसेसंप्रनि को 25486652/25486774 फोन नंबर पर सूचित करें , जो आवश्यक निपटान के लिए एमसीजीएम के साथ समन्वय करेंगे। Dead birds should not be touched with bare hands and such cases should be intimated to Cosmetic Maintenance Section, DCSEM on Phone No.25486652/25486774 who will coordinate with MCGM for necessary disposal.
3. यदि पालतु पक्षी मालिकों के ध्यान में यह बात आती है कि उनके पक्षियों में संक्रमण हो रहा है तो वे एमसीजीएम हेल्प लाईन संख्या 1916 पर रिपोर्ट भी करें तथा कास्मेटिक अनुरक्षण अनुभाग , निसेसंप्रनि को 25486652/25486774 फोन नंबर पर सूचित करें। If any bird pet owners notice their pet to be infective of the disease, they shall also report the fact to MCGM Helpline No.1916 under intimation to Cosmetic Maintenance Section, DCSEM on 25486652/25486774.
4. पक्षियों से संबंधित दुकानें व उत्पाद सुविधाओं में जाने से बचे। Avoid visiting bird or bird product facilities in their own interest.
5. निपटान के पूर्व कचरे का सॅनिटायज़ेशन करें ताकि पक्षी मक्खियां या अन्य किड़े-मकोड़े उसकी तरह आकर्षित न हो। Sanitization should be followed for disposal of waste so that they do not attract birds, flies or other insects.

सभी निवासियों एवं दुकानदारों/सहकर्मियों से अनुरोध है कि इस बीमारी के फैलने तथा संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए उपर दिए अनुसार सावधानी बरते। All residents and shop owners/coworkers are requested to take precautions as mentioned above for containment of the outbreak at the place of occurrence and to prevent the further spread of the disease.

समय समय पर एम.सी.जी.एम के निर्देशों के अनुसार दिशा-निर्देशों की आवधिक समीक्षा की जाएगी। The above guidelines will be reviewed periodically as per the directives of MCGM from time to time.

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This is issued with the approval of the Competent Authority.

शैलजा प्रकासम
15/11/2021
(शैलजा प्रकासम Shailaja Prakasam)
मुख्य प्रशासन अधिकारी Chief Administrative Officer

प्रति: मुंबई स्थित पऊवि कॉलोनियों एवं अणुशक्तिनगर के सभी आबंटिती।

To: All residents of Anushaktinagar and other DAE colonies in Mumbai.

- प्रतिलिपि Copy To:
1. अणुशक्तिनगर एवं अन्य पऊवि कॉलोनियों सभी पोल्ट्री दुकान के दुकानदार। All shop allottees/shopkeepers of poultry shops in Anushaktinagar and other DAE colonies.
 2. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, निसेसंप्रनि CSO, Anushaktinagar.
 3. प्रधान , कॉस्मेटिक अनुरक्षण अनुभाग, निसेसंप्रनि । Head, Cosmetic Maintenance Section, DCSEM.
 4. सभी निवासी वेलफेयर एसोसिएशन All Residents Welfare Association.